तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 543/2025 प्रियंका कंवर बनाम महेन्द्र सिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम्म की तामील में जारी हुए

21.01.2026	अधिवक्ता प्रार्थिया उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तरिम भरण पोषण का निस्तारण किया जा रहा है। बहस अन्तरिम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया प्रियंका कंवर राठौड़ का विवाह दिनांक 29.06.2020 को उसकी बुआ द्वारा ग्राम डगारिया, जिला बूंदी में हिन्दू रीति–रिवाज से सप्तपदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत, निवासी भारजी का खेड़ा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के साथ सम्पन्न कराया गया। विवाह के समय प्रार्थिया के परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार समस्त दहेज का सामान दिया। विवाह के पश्चात प्रार्थिया ससुराल में रहकर अपने पत्नीधर्म का पालन करने लगी, परन्तु विवाह के लगभग डेढ़ माह बाद ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शराब के नशे में दहेज की मांग को लेकर प्रार्थिया के साथ मारपीट व प्रताड़ना प्रारम्भ कर दी गई तथा उससे एक लाख रुपये दहेज में लाने की मांग की गई। इस संबंध में प्रार्थिया द्वारा सास–ससुर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अवगत कराया गया, किन्तु उन्होंने भी अप्रार्थी संख्या 1 का ही पक्ष लेते हुए कहा कि यदि घर में रहना है तो पिता से रकम लेकर आओ, क्योंकि उनके पास 100 बीघा भूमि है। दिनांक 26.09.2020 को दहेज में एक लाख रुपये नहीं लाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थिया के साथ बेल्ट से गंभीर मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। उसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थिया को उसकी बुआ के गांव डगारिया लेकर आया, जहां तीन दिन रुकने के पश्चात बुआ द्वारा समझाकर पुनः ससुराल भेजा गया। रास्ते में हिण्डोली टोल नाके के पास अप्रार्थी संख्या 1 ने पुनः प्रार्थिया के साथ मारपीट की तथा गलत साइड में ले जाकर ट्रक के सामने कूदने की धमकी दी। भयभीत होकर प्रार्थिया उनियारा में अपने पिता के मित्र के यहां रुक गई और पिता को बुलाया। अगले दिन अप्रार्थी संख्या 1 वहां आया और प्रार्थिया से मंगलसूत्र वापस लेकर यह कहते हुए धमकाया कि बिना एक लाख	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 543/2025 प्रियंका बनाम महेन्द्र सिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम्म की तामील में जारी हुए

रुपये लाए ससुराल आई तो जान से मार देगा तथा स्वयं आत्महत्या कर लेगा। उक्त भय के कारण प्रार्थिया तब से बहादुरपुरा, तहसील व जिला बूंदी में किराये के मकान में रहने को विवश है। विवाह के समय दिए गए 50,000 रुपये नकद, लगभग 70 सूट, डबल बेड, चांदी के पायजेब, सोने का मंगलसूत्र एवं सोने के टॉप्स आदि दहेज का सामान आज भी अप्रार्थीगण के पास है, जिसे मांगने पर भी लौटाया नहीं जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा आगे भी 10 तोला सोना एवं चार पहिया वाहन की मांग कर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर दहेज का सामान वापस करने, भरण–पोषण देने एवं सकुशल ससुराल ले जाने का निवेदन किया, किन्तु नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थीगण ने न तो प्रार्थिया की कोई सुध ली, न भरण–पोषण राशि दी और न ही सामान लौटाया। प्रार्थिया के परिजन गरीब हैं और महंगाई के इस दौर में उसका भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। प्रार्थिया स्वयं कोई रोजगार नहीं जानती तथा वर्तमान में मनराज मीणा के मकान में किराये से निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 1 साधन सम्पन्न व्यक्ति है, जिसके पास ग्राम भारजी का खेड़ा, जिला भीलवाड़ा में लगभग 50 बीघा सिंचित पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिससे उसकी मासिक आय लगभग 50,000 रुपये से अधिक है। इसके बावजूद अप्रार्थी ने जानबूझकर प्रार्थिया को दाम्पत्य सुखों व भरण–पोषण से वंचित कर रखा है। अतः प्रार्थिया को अंतरिम एवं स्थायी रूप से 20,000 रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण, आवास व चिकित्सा सुविधा दिलाया जाना, दहेज का सम्पूर्ण सामान वापस दिलाया जाना तथा अप्रार्थीगण को दहेज की मांग व प्रताड़ना से प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात भी प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।

अप्रार्थीगण के लगातार अनुपस्थित होने पर दिनांक 16.09.2025 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थिया की शादी

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 543/2025 प्रियंका बनाम महेन्द्र सिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी महेन्द्र सिंह से 09.02.2020 वर्ष पूर्व होना स्वीकृत तथ्य है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रार्थिया का अपने ससुराल में निवास नहीं करने का तथ्य भी स्वीकृत है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह स्थापित होता है कि विवाह के कुछ समय पश्चात ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रार्थिया के साथ शारीरिक एवं मानसिक हिंसा की गई, उसे गंभीर रूप से मारपीट कर चोट पहुँचाई गई तथा जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसके कारण प्रार्थिया अपने ससुराल से पृथक होकर किराये के मकान में रहने को विवश हुई। यह भी तथ्य सामने आता है कि प्रार्थिया वर्तमान में निर्वाह के साधनों से वंचित है, उसके परिजन निर्धन हैं तथा वह स्वयं कोई रोजगार नहीं करती, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 साधन–सम्पन्न व्यक्ति है और पर्याप्त आय का स्रोत रखता है। अप्रार्थीगण को समुचित तामील के बावजूद वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्थिति में न्यायालय यह संतुष्ट है कि प्रार्थिया को तत्काल संरक्षण, भरण–पोषण एवं सुरक्षित निवास की आवश्यकता है तथा विलम्ब होने पर प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति पहुँचने की पूर्ण संभावना है। पत्रावली पर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय सहायक निदेशक (महिला अधिकारिता) बून्दी की घरेलू हिंसा की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जिसमें भी प्रार्थिया के साथ दहेज की मांग करना, मारपीट करना व घरेलू हिंसा होना माना है।

इसके अतिरिक्त यह अप्रार्थी का विधिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करें, लेकिन यहां पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया का भरण–पोषण किये जाने का कोई प्रयास किया गया हो, दृष्टिगत नहीं होता है। चूंकि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार उसकी प्रतिमाह सकल आय इस स्तर पर अंतिम रूप से तय नहीं की जा सकती है। चूंकि प्रार्थिया जो कि अप्रार्थी संख्या–1 महेन्द्र की विवाहिता पत्नी है, के भरण–पोषण का नैतिक व सामाजिक दायित्व अप्रार्थी का

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 543/2025 प्रियंका बनाम महेन्द्र सिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम्म की तामील में जारी हुए

ही है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थिया को अप्रार्थी महेन्द्र सिंह से ही अन्तरिम भरण–पोषण दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

फलतः प्रार्थिया प्रियंका द्वारा की गयी अन्तरिम भरण–पोषण की प्रार्थना स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि अन्तरिम भरण–पोषण के रूप में रहने–खाने, चिकित्सा आदि हेतु स्वयं के लिये 4000 रूपये अप्रार्थी महेन्द्र सिंह से प्रतिमाह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 08.06.2025 से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उक्त राशि अप्रार्थी नकद, चैक या अन्य इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थिया के खाते में जमा करवाकर रसीद अपने पास सुरक्षित रखे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थिया हेतु दिनांक ..... को पेश हो।